जे. वी. गुप्ता, जे.

एस. सिकंदर सिंह, स्वर्गीय भाई अरदमन सिंह के पुत्र- याचिकाकर्ता।

बनाम

एस. ए. बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड और अन्य,- उत्तरदाता।

1988 का नागरिक संशोधन संख्या 1375।

7 अगस्त, 1989.

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - धारा 2(10) - धारा 55 - निर्णय देनदार - की परिभाषा - कंपनी के खिलाफ डिक्री - एम: डी की गिरफ्तारी - ऐसी गिरफ्तारी की वैधता।

5. सिकंदर सिंह, स्वर्गीय भाई अरदमन सिंह के पुत्र बनाम एस.ए.

बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड और अन्य. (जे. वी. गुप्ता, जे.)

अभिनिर्णित गया कि यह डिक्री केवल कंपनी के खिलाफ है, उसके अधिकारियों के खिलाफ नहीं। इसलिए, याचिकाकर्ता को निर्णय देनदार नहीं कहा जा सकता और उसके निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। (पैरा 4)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री जी.एस. सेवक एसजेआईसी, चंडीगढ़ के न्यायालय के दिनांक 27 मई, 1988 के आदेश में संशोधन के लिए अहलमद को 20 जुलाई, 1988 के लिए विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ को पत्र और सशर्त वारंट के साथ संपूर्ण कागजात भेजने का निर्देश दिया गया। भी जारी किया गया.

दावा.-16 लाख की वसूली के लिए मुकदमा (अब निष्पादन की कार्यवाही)।

पुनरीक्षण में दावा - निचली अदालत के आदेश को उलटने के लिए।

याचिकाकर्ता की ओर से जयश्री ठाकुर, अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एम. एल. सरीन।

निर्णय

जे. वी. गुप्ता, जे.-

(1) यह याचिका निष्पादन न्यायालय दिनांक 27 मई 1988 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके अनुसरण में वारंट जारी किए गए थे, जो याचिकाकर्ता कंपनी का प्रबंध निदेशक था अर्थात निर्णय देनदार जिसे बैगेरियन शूज़ लिमिटेड के नाम से जाना जाता है।

(2) प्रस्ताव की सुनवाई के समय 8 जून, 1988 को आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। डिक्री धारक ने बागरिया शूज़ लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ एक डिक्री प्राप्त की थी। उस डिक्री के निष्पादन में कार्यकारी न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित किया था। बिना नाम बताए सशर्त वारंट के

लिए जिसके खिलाफ वारंट जारी किए जा रहे थे। हालाँकि, उस आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता, जो निर्णय देनदार की कंपनी का प्रबंध निदेशक था, को गिरफ्तार किया जा रहा था।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्णय देनदार को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड 10 और सी.पी.सी. की धारा 55 के तहत परिभाषित किया गया है। केवल निर्णय देनदार की गिरफ्तारी ही की जा सकती थी। इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया, चूंकि याचिकाकर्ता निर्णय देनदार नहीं था और यह केवल कंपनी थी, भले ही वह इसका प्रबंध निदेशक था, तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, जब तक कि उसके खिलाफ भी कोई डिक्री न हो।

(4) वकील की सुनवाई के बाद, मुझे याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई सामग्री मिली। चूंकि डिक्री केवल कंपनी के खिलाफ है और उसके अधिकारियों के खिलाफ नहीं है, याचिकाकर्ता को उसके निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, याचिका सफल होती है, और गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश देने वाला विवादित आदेश रद्द किया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानवान के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा